13. उद्योग

सैक्टर एक दृष्टि में

वार्षिक योजना वर्ष 2014–2015 में योजना हेतु प्रस्तावित राशि

- आयोजना बजट सीलिंग राशि 112.65 लाख
- राज्य आयोजना मद 112.65 लाख
- केन्द्रीय योजना मद शुन्य

लक्ष्य एवं उदेश्य

- बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध करवाना।
- बुनकरों एवं दस्तकारों के विकास हेतु स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रभावी क्रियान्वयन।
- महिलाओं को स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित कर गृह उद्योग स्थापित करवाना।
- नमक मजदूरों की आवास समस्याओं के निराकरण हेतु आवास निर्माण करवाना।
- नमक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएं विकसित करना

m|kx foHkkx dk nf"V i=

12-1 orZeku fLFkfr

जिला उद्योग केन्द्र का मुख्य कार्य गैरकृषिगत आर्थिक गतिविधियो को प्रोत्साहित करके क्षेत्र के आर्थिक विकास को समृद्ध करना एंव निजी क्षेत्रो में नियोजन की संभावनाओ में वृद्धि करना है। नागौर जिला मुख्य रुप से कृषि प्रधान जिला है वर्तमान में भी जिले की अधिकांश मानवशक्ति कृषि एंव इसकी सहायक गतिविधियो में लिप्त है। जिले में 06 वृहद एंव मध्यम स्तरीय उद्यम तथा 8 हजार से अधिक लधु उद्यमो एंव 8.5 हजार हस्तशिल्प उद्यमो में लगभग 65 से 70 हजार कार्यशील युवाओ को रोजगार दिया हुआ है। जिले में मार्बल एंव सैण्ड स्टोन जैसे इमारती पत्थरो के अलावा खाद्य नमक, लिग्नाईट, लाईम स्टोन, क्ले आदि बहुमूल्य खनिज सम्पदा अधिशेष है, कृषि प्रधान जिला होने के कारण यहां पर खाद्य प्रसंस्करण कृषि उपज ग्रेडिग एंव पैकिग उद्योग स्थापना की भी विपुल संभावना है ताकि क्षेत्र में उत्पादित कृषि जिन्सो एंव खनिज सम्पदा मूल्य संवर्धन के पश्चात ही जिले के बाहर जावे जिससे जिले में आर्थिक गतिविधियां सर्मध हो सके। इसके अलावा जिले में प्रतिवर्ष 5 हजार नवयुवा रोजगार हेतू प्रयास करने वालो की लम्बी प्रतिक्षा सूची में शामिल हो जाते है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए इस जिले का विभागीय योजना तैयार की गयी है।

12-1-1ftyk esa LFkkfir m|kxksa dk fooj.k

क्र.स.	इकाई का प्रकार	पंजीकृत सं0	नियोजन	विनियोजन (लाख रु0में)
1	वृहद् एंव मध्यम उद्योग	06	578	14892.53
2	लधु उद्योग	8162	40901	14390.54
3	दस्तकारी उद्योग	8589	21402	370.82

वर्तमान में भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2006 से अति सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 लागू कर पंजीयन प्रणाली को समाप्त कर दिया है। एवं उद्योगों की अवधारणा ''उद्यम'' में समाहित कर सेवा क्षेत्र को भी इसमें शामिल कर लिदया है तथा पंजीकरण की प्रणाली समाप्त कर उद्यमिता ज्ञापन पावती प्रणाली (Enterprenures memorandum acknowledgement system) लागू कर दी है। इस वित्तीय वर्ष में 825 के लक्ष्य के विरूद्ध अब तक 400 इकाइयों के उद्यमिता ज्ञापन जारी किये जा चुके हैं।

12-1-2jhdk }kjk fodflr vk|kfxd {k=

Ø-l-	vk|kfxd {k=	dqy {k=Qy	dqy lykV l-	lykV vkofVr l-	fjDr lykV l-
1	रीको औ.क्षेत्र नागौर	30.30 एकड	98	96	02
2	रीको औ.क्षेत्र मेडतासिटी	31.34एकड	83	83	—
3	रीको औ.क्षेत्र मकराना	201.02 एकड	348	348	—
4	IID रीको औ.क्षेत्र नागौर	41.53 एकड	265	224	41
5	डी.आई.सी औ.क्षेत्र गोटन	50 बीघा	24	24	—
6	डी.आई.सी. औ.क्षेत्र बडू	25 बीघा	64	64	—
7	रीको औ.क्षेत्र डीडवाना	77.56 एकड	123	30	93

8	रीको औ.क्षेत्र परबतसर	86.86 एकड	124	115	9
9	डी.आई.सी. औ.क्षे. लाडनू	101.5 बीघा	104	98	6

12-1-3 fty: e: miyC/k [kfut lEink &

नागौर की धरती केवल प्रतीक रूप में ही रत्नगर्भा नहीं है अपितु यथार्थ में भी यहॉ खनिज का प्राचुर्य है, जो यहां की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। नागौर जिले में कुल 10 तहसीलें है। नागौर जिले में खान एवं भू विज्ञान विभाग, के दो खनि अभियन्ता कार्यालय क्रमशः मकराना एवं नागौर तथा एक सहायक खनि अभियन्ता कार्यालय गोटन में कार्यरत है। कार्यालय खनि अभियन्ता, नागौर के क्षेत्राधिकार में नागौर जिले की पांच तहसील नागौर, खींवसर, जायल, डीडवाना व लाडनूं आती है। इसी तरह से खनि अभियन्ता मकराना के अधीन मकराना, परबतसर व नावां तहसील आती है। सहायक खनि अभियन्ता, गोटन (जो कि ख.अ., नागौर के अधीनस्थ है) के अधीन मेडता व डेगाना तहसील आती है। जिले में कुल 11 पंचायत समितियां है जिनका पंचायत समितिवार विवरण निम्न प्रकार से है –

1. **मकराना** : मकराना में मुख्यतया खनिज, विश्व प्रसिद्ध मार्बल, चिनाई पत्थर उपलब्ध है। मकराना का विश्व प्रसिद्ध मार्बल पुरे भारतवर्ष व कई देशों में निर्यात किया जाता हैं।
2. **परबतसर** : परबतसर के मुख्यतया खनिज, मार्बल, चिनाई पत्थर व चूना पत्थर उपलब्ध है। मार्बल पुरे भारत वर्ष व कई देशों में निर्यात किया जाता हैं।
3. **कुचामन** : कुचामन में मुख्यतया खनिज, चिनाई पत्थर उपलब्ध है। जो ग्राम जसराना, देव डूंगरी, कोटडा लाम्बा, कुचामन, गोविन्दी, हुडील, सिंगिया, पनवाड़ी व घाटवा इत्यादि में प्रचुर मात्रा में है।
4. **मेड़ता** : मेड़ता में मुख्यतया खनिज, चिनाई पत्थर, लाईम स्टोन, लिग्नाईट, क्ले आदि उपलब्ध है।
5. **रियां** : रियां में मुख्यतया खनिज चिनाई पत्थर आदि उपलब्ध है।
6. **डेगाना** : डेगाना में मुख्यतः खनिज चिनाई पत्थर व टंगस्टन आदि है।
7. **नागौर** : नागौर में मुख्य खनिज जिप्सम, लाईम स्टोन व चिनाई पत्थर उपलब्ध है।
8. **मूण्डवा** : मूण्डवा में मुख्यतया खनिज क्ले, लिग्नाईट, लाईम स्टोन एवं चिनाई पत्थर आदि उपलब्ध है।
9. **जायल** : जायल में मुख्यतया लिग्नाईट, जिप्सम, लाईम स्टोन सेण्ड स्टोन, चिनाई पत्थर, क्ले एवं रैड ऑकर आदि उपलब्ध है।
10. **डीडवाना** : डीडवाना में मुख्यतः खनिज चिनाई पत्थर तथा लाईम कंकर उपलब्ध है।
11. **लाडनूं** : लाडनूं में मुख्यतया खनिज चिनाई पत्थर उपलब्ध है।

12-2 ;ktuk vof/k gr y{; ,o mn';

- हस्तशिल्पियों के उत्पादों को विश्व बाजार उपलब्ध करवाना
- बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध करवाना
- बुनकरों एवं दस्तकारों के विकास हेतु स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रभावी क्रियान्वयन
- महिलाओं को स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित कर गृह उद्योग स्थापित करवाना
- नमक मजदूरों की आवास समस्याओं के निराकरण हेतु आवास निर्माण करवाना
- नमक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएं विकसित करना

12-3 y{;k rd igpu dh :ij[kk ,o j.kuhfr

- वर्तमान में मार्बल उद्योग मुख्यतः फर्श में काम आने वाली टाइल्स एंव स्लेब्स निर्माण पर सकेन्द्रित है। सैन्टरी टाईल्स निर्माण क्षेत्र में परिष्करण के पश्चात इस उद्योग को बहुत तगडी प्रतिर्स्पधा का सामना करना पड रहा है एंव टाईल्स व स्लेब के विपणन की समस्याएं दिन व दिन गहराती जा रही है। इसी प्रकार जिले के खाटू क्षेत्र से निकलने वाले सैण्ड स्टोन बिना किसी परिष्करण के बडे– बडे ब्लाक के आकार में निर्यात किया जा रहा हैं। जिससे इस बहुमूल्य सम्पदा का उचित मूल्य नहीं मिल पाता हैं। अतः इन दोनो बहुमूल्य पत्थरो को हस्तशिल्पियों के माध्यम से उत्कृष्ठ कलाकृतियों तैयार करवा कर निर्यात करवाया जावे तो मूल्य संवर्धन के साथ–साथ जिले के हजारो बेरोजगार युवाओ को काम भी मिल सकेगा । इस हेतू दो प्रयास अपेक्षित है :–
  - हस्तशिल्प निर्माण हेतू स्थायी प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना जिसमें निरंतर डिजायन विकास करने वाले सृजको को भी शामिल किया जावे।
  - मकराना एंव खाटू के लिए उपयुक्त स्थान पर मेघाहाईवे पर पत्थर मण्डी का विकास।
- बेरोजगार युवाओ को स्वरोजगार प्रदान करने हेतू विस्तृत तौर पर प्रचार प्रसार कर बैरोजगार युवाओ को आकर्षित कर विभागीय योजनाओ के तहत युवाओ में उद्यमिता लक्षण का विकास कर बैको के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवा स्वरोजगार प्रदान किया जावेगा । जिससे युवा अपना स्वरोजगार प्रारम्भ कर विकास की धारा में शामिल हो सकेगा ।
- जिले में कार्यरत बुनकरो एंव दस्ताकारो को लाभान्वित करने हेतू विभागीय योजनाओ के तहत बुनकर एंव दस्तकारो के कलस्टर में औद्योगिक प्रोत्साहन कैम्पो का आयोजन कर बुनकरो एंव दस्तकारो को योजना की विस्तृत जानकारी प्रदान करते हुए करघाघर अनुदान एंव ऋण उपलब्ध करवाने के आवेदन पत्र तैयार करवाये जावेगे जिन्हे विभागीय स्तर पर उपलब्ध बजट राशि एंव बेको के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवा लाभान्वित करवाया जावेगा
- ग्रामीण व शहरी बेरोजगार गरीब महिलाओ को स्वरोजगार हेतू स्वंय सेवी संस्थाओ से सम्पर्क कर उनके माध्यम से विभिन्न ट्रेडस में प्रशिक्षण आयोजित करवा प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जायेगा तथा प्रशिक्षित महिलाओ को बैको के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवा रोजगार प्रदान किया जावेगा ।
- नागौर जिले के नांवा तहसील में नमक उत्पादन उद्योग में कार्यरत मजदूर जिनके पास स्वयं का मकान नहीं है उन्हे आवास उपलब्ध करवाने हेतू विभाग द्वारा पंचवर्षीय योजना में बजट प्रावधान किया गया है जिसके तहत निशुल्क भूमि उपलब्ध करवाते हुए ऋण उपलब्ध करवाने का भी प्रावधान किया गया है फलतः कार्यरत मजदूरो को आवास उपलब्ध करवाये जावेगे।
- नागौर जिले के नांवा तहसील में नमक उद्योग क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओ का अभाव होने के कारण नमक उत्पादन क्षेत्र में सडक निर्माण व अन्य सुविधाए प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करवायी जावेगी।

12-4 foHkkxh; dk;Øe ,o lpkfyr ;kstuk,

विभाग का मुख्य कार्य जिले में औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना औद्योगिक गतिविधियों का पंजीयन करना एंव औद्योगिक गतिविधियों से सम्बन्धित विभागो में सामन्जस्य स्थापित करना। विभाग द्वारा संचालित योजनाओ का विवरण इस प्रकार है –

9-4-1 m|ferk Kkiu ikorh i.kkyh ¼Enterprenures memorandum acknowledgement system½ &

भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2006 से अतिसूक्ष्म, लधु एंव मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 लागू कर पंजीयन प्रणाली को समाप्त कर दिया है। एंव उद्योगो की अवधारणा ''उद्यम'' में समाहित कर सेवा क्षेत्र को भी इसमें शामिल कर दिया है तथा पंजीकरण की प्रणाली समाप्त कर उद्यमिता ज्ञापन पावती प्रणाली (Enterprenures memorandum acknowledgement system) लागू कर दी है।

9-4-2 i/kkue=h jkstxkj ;kstuk

इस योजना में शिक्षित बेरोजगार युवाओ को आर्थिक रुप से लाभकारी गतिविधी प्रारम्भ करने हेतू राष्ट्रीयकृत बैको के माध्यम से 5.00 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। योजनान्तर्गत चयनित युवाओ को आर्थिक गतिविधि के सफल संचालन हेतू 10–15 दिवसीय प्रशिक्षण भी दिया जाता है, साथ ही 15 प्रतिशत अनुदान की भी सुविधा है। अनुदान की अधिकतम सीमा प्रतिलाभार्थी 12,000/– है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष में 860 लक्ष्यों के विरूद्ध विभिन्न बैंकों द्वारा 477 स्वीकृतियां जारी की जा चुकी है तथा 251 अभियार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाकर 134 युवाओं को रू. 80.40 लाख की राशि वितरित की जा चुकी है।

;kstuk fØ;kUo;u dh dfBukbZ nwj djus gsrq lq>ko & वर्तमान में योजना के तहत मात्र राष्ट्रीयकृत बैको द्वारा ही वितीय सुविधा उपलब्ध करवायी जाती है । जिले के अधिंकाश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। जहां पर कभी भी राष्ट्रीयकृत बैको की सेवाओ का विस्तार नहीं हुआ है फलतः राष्ट्रीयकृत बैको से दूर स्थित ग्रामीण क्षेत्रो के युवाओ को योजना का यथोचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। अतः ग्रामीण बैको को भी योजना के अन्तर्गत वितिय सुविधाए उपलब्ध करवाने हेतू अधिकृत किया जाना चाहिए क्योकि इन बैको की ग्रामीण क्षेत्रो में राष्ट्रीयकृत बैको के अपेक्षाकृत अधिक शाखाएं कार्यरत है।

9-4-3 cqudj ,o gLrf'kfYi;k gsrq ykHkdkjh ;kstuk,¼&

v- dj?kk?kj fuekZ.k vuqnku ;kstuk ¼& इस योजना के तहत बुनकरो को करघा घर निर्माण हेतू ग्रामीण क्षेत्रो में 7000/– एंव शहरी क्षेत्रो में 10000/–रुपये का अनुदान प्रदान किया जाता है। गत वितीय वर्ष में इस जिले को 40 करघाघर अनुदान देने के लक्ष्य प्राप्त हुए थे, जिनके विरूद्ध 40 करघाघर स्वीकृत किये जा चुके हैं।

c- egkRek xka/kh cqudj chek ;kstuk :– योजनान्तर्गत न्यूनतम 25 बुनकरो के समूह का 80/– प्रति बुनकर प्रीमियम लेकर जीवन बीमा किया जाता है। बीमित बुनकर की सामान्य मृत्यू होने पर 50 हजार, दुर्घटना मृत्यू पर 80 हजार एंव पूर्णतया अपंगता पर 50 हजार तथा एक अंग से अंपग होने पर 25 हजार का बीमित लाभ देय होता है साथ ही बीमित बुनकर को दो बच्चो तक यदि वे 9वीं से 12वीं कक्षा में शिक्षा ग्रहण कर रहे है तो प्रति तिमाही 300/–रुपये छात्रवृति देय होगी। इस वर्ष 400 का लक्ष्य निर्धारित था जिसे प्राप्त कर लिया जायेगा। अब तक 83 बुनकरों का बीमा किया जा चुका है।

l- LokLF; chek ;kstuk ¼& हाथकरघा बुनकरो के कल्याण हेतू वर्ष 2005–06 से स्वास्थय बीमा योजना प्रारम्भ की गयी। इसमें बीमित व्यक्ति के बीमार होने बीमा कम्पनी द्वारा 15000/–रुपये वार्षिक का स्वास्थ्य बीमा किया जाता है कुल देय

प्रीमियम 1000/– रुपये में से 800/– केन्द्रीय सरकार द्वारा ,100/– राज्य सरकार द्वारा एंव मात्र 100/– रुपये व्यक्तिगत बुनकर द्वारा वहन किये जाते है।

9-4-4 xg m|kx ;kt uk

इस योजना के तहत महिलाओ के आर्थिक उत्थान के लिए विभिन्न ट्रेडस में गैर सरकारी संस्थाओ के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है। गत वितीय वर्ष में 5 ट्रेडस में 125 महिलाओ को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य दिया गया था जिसे अर्जित कर लिया जाएगा । अब तक 101 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

9-4-5 nLrdkjk ,o y/k m|fe;k dk foi.ku lfo/kk,

जिला उद्योग केन्द्र द्वारा लधु एंव हस्तशिल्पियों एंव दस्तकारो के उत्पादो को मार्किट उपलब्ध करवाने हेतू प्रतिवर्ष फरवरी माह में उद्योग एंव हस्तशिल्प मेंले का आयोजन किया जाता है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में नागौर शहर में रुरल हाट बाजार स्थापित करने का प्रावधान रखा गया है। इस हेतू ख.न. 1171/338/667 व 122 में 7.09 बीघा जमीन का आंवटन करवाया जा चुका है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत डीडवाना और मेडता में भी रुरल हाट बाजार स्थापित किये जाने प्रस्तावित है।

9-4-6 vkVhtu C;kt vuqnku ;kt uk

विभाग द्वारा संचालित की जाने वाली आर्टीजन ब्याज अनुदान योजना में आर्टीजन्स क्रेडिट कार्ड से लाभान्वितों को उनके बैंक को ऋण के पेटे भुगतान किये गये ब्याज पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

9-4-7 Lo; lgk;rk leg lg;kx vuqnku

गृह उद्योग योजना के तहत प्रशिक्षित महिलाओ का स्वंय सहायता समूह गठन होने के पश्चात प्रत्येक समूह को एक–एक हजार रुपये की समूह विकास सहायता के रुप में दिया जाता है।

9-4-8 jkt xkj eqyk

जिले में स्थापित उद्यमो एंव अन्य व्यवासायिक संस्थानो में उपलब्ध रोजगार सुविधाओ की जानकारी कर जिले में शिक्षित बेरोजगारो को रोजगार उपलब्ध करवाने हेतू इस पंचवर्षीय योजना में मेंले आयोजित किये जावेगे ताकि शिक्षित बेरोजगारो को रोजगार मिल सके तथा उद्यमियों को भी योग्य तकनिकी कर्मचारी उपलब्ध हो सके तथा बेरोजगारी का निराकरण हो सके।

12-5 leL;k@l>ko

- वर्तमान में साल्ट रिफाईनरी की स्थापना लागत बहुत ज्यादा है इस लागत को कम किये जाने की प्रबल संभावनाए मौजूद है अतः तकनीकी विशेषज्ञो के माध्यम से कम लागत की साल्ट रिफाईनरी स्थापित करने की क्षेत्र में अनवेषण हेतू प्रयासो की आवश्यकता है। इस बाबत इस क्षेत्र में कार्यरत वरिष्ठ उद्यमी श्री रामप्रसाद साबू द्वारा काफी तथ्य इकटठे किये गये है। उनके आधार पर व्यवहारिक अनवेषण किया जाना उचित रहेगा ।
- नमक रिफाईनरी की स्थापना में उद्यमी के उत्पादो के मूल्स संवर्धन के साथ–साथ जनस्वास्थ्य को मुद्दा भी जुडा हुआ है। जब तक कम लागत की रिफाइनरिज का व्यवहारिक मॉडल नहीं आ जाता है राज्य सरकार को साल्ट रिफाईनरी स्थापित करने हेतू पूँजी निवेश अनुदान समुचित मात्रा में देने पर विचार करना चाहिए ।
- हस्तशिल्प निर्माण हेतू स्थायी प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना जिसमें निरंतर डिजायन विकास करने वाले सृजको को भी शामिल किया जावे ।